छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244-245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

अधिसूचना

दिनांक 26/05/2017

कमांक 54 "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तो का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

(i) योजना का नाम **"दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना"** होगा।

(ii) योजना के अंतर्गत ऐसे निर्माण श्रमिक जो दुर्घटना से स्थायी अपंग हो जाते है, के लिए 01 वर्ष तक मंडल द्वारा रूपये 3000 मासिक अथवा एकमुश्त पेंशन (मानदेय) राशि रूपये 30000 प्रदाय किया जावेगा। (हितग्राही द्वारा जो विकल्प चुना जावेगा, देय होगा)

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

(i) योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी।

(ii) योजना के सामांन्तर अन्य किसी योजना का लाभ नही लिया हो, को लाभ की पात्रता होगी।

(iii) स्थाई दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र राजपत्रित स्तर के चिकित्सक से प्राप्त हो।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रकिया-

आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को **On-line** जमा किए जायेंगे।

(द) **स्वीकृति का अधिकार :–**

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी को होगा।

(य) **विसंगति का निराकरण–**

इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

26/5/2017

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
नया रायपुर, दिनांक 26/05/17

पृ०क्र० / / 917–925

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
2. माननीय अध्यक्ष, छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी .... (छ०ग०)
6. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ०ग०)
7. एनआइसी शाखा, की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि मंडल की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें
8. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर
9. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

26/5/2017

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर